

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06/विविध-10/2018 - 4391

खाद्य/दिनांक 10.09.18

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

सचिव,  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,  
बिहार, पटना।

सचिव,  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव/वितरण पर प्रशासनिक एवं परिवहन/हथालन दर के निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना का पत्रांक 8643 दिनांक 21.08.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना के अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को बी0पी0एल0 दर पर प्रतिमाह 15 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न का उठाव/परिवहन तथा निगम गोदाम से डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से छात्रावासों तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु प्रशासनिक एवं परिवहन सह हथालन मद में 118.00 रूपये (एक सौ अठारह रूपये) प्रति क्वींटल की दर से भुगतान करने हेतु अधियाचित दर पर उच्च स्तरीय निर्णय लेते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

खाद्य/दिनांक 10.09.18

ज्ञापांक-प्र06/विविध-10/2018 4391

प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।